

नियम व शर्तें:

डोरस्टेप बैंकिंग सेवा के लिए निम्नलिखित नियम व शर्तें लागू होंगी:

1. डोरस्टेप बैंकिंग प्रक्रिया निम्न प्रकार के ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगी।
 - (अ) 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक।
 - (आ) दिव्यांग अथवा अक्षम व्यक्ति (चिकित्सा रूप से प्रमाणित पुरानी बीमारी या दिव्यांगता वाला) जिनमें वे भी शामिल हैं जो दृष्टिहीन हैं। अलग-अलग विकलांग या अशक्त व्यक्ति (चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित पुरानी बीमारी या विकलांगता) जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो दृष्टिबाधित हैं।
 - (इ) समय-समय पर बैंक द्वारा चयनित कोई अन्य ग्राहक।
 - (ई) पंजीकृत पता मूल शाखा से 5 किलोमीटर के भीतर होना चाहिए। सेवा पंजीकृत पते पर प्रदान की जाएगी जो लिंक किए गए खाते के स्तर पर दर्ज है।
2. ग्राहक स्वीकार करता है और मानता है कि डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएँ ("सेवाएँ") एसबीआई ("बैंक") द्वारा उसके किसी अधिकारी/कर्मचारी/किसी कूरियर या अन्य विधिवत अधिकृत तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता ("एजेंट") की भागीदारी के माध्यम से प्रदान की जा सकती हैं, और ग्राहक इसके द्वारा बैंक को, जैसा कि बैंक आवश्यक समझे, किसी अधिकारी/कर्मचारी/सेवा प्रदाता को नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है जो बैंक की ओर से ग्राहक को सेवाएँ प्रदान करने के लिए बैंक के निर्देशों पर कार्य करेगा। ग्राहक, बैंक को अधिकारी/कर्मचारी/सेवा प्रदाता के साथ ऐसे विवरण साझा करने के लिए अधिकृत करेगा जो सेवा प्रदान करने हेतु आवश्यक होगा।
3. सेवाओं के प्रावधान के लिए शुल्क, संशोधित शुल्क, यदि कोई हो, ग्राहक को पूर्व सूचना के बिना ग्राहक के खाते से डेबिट किया जाएगा। बैंक द्वारा ग्राहक को 30 दिनों के नोटिस के साथ समय-समय पर प्रभारों को संशोधित किया जा सकता है। ऐसे परिवर्तन नीचे दिए गए किसी भी माध्यम से नोटिस जारी होने के 30 दिन बाद ही प्रभावी होंगे।
 - बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित – www.bank.sbi
 - शाखाओं में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित
 - पंजीकृत मोबाइल नंबर/ई-मेल आईडी पर एसएमएस/ई-मेल भेजना
4. नियंत्रण से परे की परिस्थितियों में डोरस्टेप सेवाएँ प्रदान करने में विफलता के लिए ग्राहक का बैंक पर कोई कानूनी या वित्तीय दावा नहीं बनता है।
5. डोरस्टेप सेवाओं के लिए पंजीकरण केवल होम ब्रांच में किया जाना चाहिए।
6. कैश पिक-अप/डिलीवरी के लिए की सीमा प्रत्येक बार अधिकतम रु.20,000/- (बैंक द्वारा समय-समय पर परिवर्तन के अधीन) होगी और दी जाने वाली सेवाओं के लिए लागू शुल्क होगा।
7. ग्राहक को अधिकारी/कर्मचारी/सेवा प्रदाता के साथ एक आईडी प्रमाण और सेवा अनुरोध संख्या साझा करनी होगी।

8. ग्राहक को एजेंट के प्रतिनिधि अथवा अधिकारी के विवरण (यदि कोई आईडी कार्ड हो) को भी सत्यापित करना चाहिए।
9. डोरस्टेप सेवाओं के लिए कॉल व्यावसायिक अवधि के दौरान होम ब्रांच/संपर्क केंद्रों पर स्वीकार किए जाएंगे। डिलीवरी सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर पूरी की जाएगी (छुट्टियों को छोड़कर)।
10. सेवाएँ बैंक और ग्राहक के बीच समझौते के नियमों, शर्तों और अनुबंधों के अधीन होंगी।
11. ग्राहक नियत समय से 4 घंटे पहले संबद्ध सेवा अनुरोध/निर्देश को रद्द/संशोधित करने का अनुरोध कर सकता है। ऐसे मामले में कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा।
12. प्रति दिन केवल एक सेवा अनुरोध स्वीकार किया जाएगा। (इसमें एक अनुरोध में कई कार्य शामिल हो सकते हैं जैसे फॉर्म 15एच के साथ चेक का पिक-अप, चेक मांग पर्ची, कैश पिक-अप और कैश डिलीवरी, आदि)। वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेन सहित कई कार्यों वाले एक सेवा अनुरोध के मामले में, लागू शुल्क 100/+ जीएसटी होगा।
13. निकासी रु. 100/- के गुणकों में की जा सकती है।
14. बैंक द्वारा निर्धारित दैनिक लेनदेन सीमा के उल्लंघन के कारण असफल लेनदेन के मामले में, उसके लिए लागू सेवा शुल्क वसूल किया जाएगा।
15. डोर-स्टेप सेवाओं को केवल हमारे बैंक द्वारा दी जाने वाली नियमित बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के रूप में देखा जाना चाहिए और अतएव बैंक की देनदारी उसी सीमा तक बनी रहेगी जैसा कि लेनदेन शाखा में किया गया था।
16. एक शाखा से दूसरी शाखा में खाते के हस्तांतरण के मामले में, डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं के लिए एक नया पंजीकरण हस्तांतरणी शाखा में किया जाना है।
17. खाते को एक शाखा से दूसरी शाखा में अंतरित करने के मामले में, अंतरिती (ट्रांसफरी) शाखा में डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं के लिए एक नया पंजीकरण करना होगा।
18. नियम व शर्तों में परिवर्तन के मामले में, इसे शाखा नोटिस बोर्ड और / अथवा वेबसाइट bank.sbi में प्रदर्शित किया जाएगा।

खाताधारक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान